भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या – *311
उत्तर देने की तारीख : 17.12.2024

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

***311.** श्री जुगल किशोर:
श्री जनार्दन मिश्रा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) द्वारा महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कितने दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) क्या सरकार ने कभी एनएचएफडीसी के कामकाज की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

(डॉ. वीरेंद्र कुमार)

(क) से (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 17.12.2024 को "राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम " के संबंध में श्री जुगल किशोर और श्री जनार्दन मिश्रा, माननीय सांसदों द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *311 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान, इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) नेशनल दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम **(एनडीएफडीसी)** द्वारा निगम की रियायती ऋण योजनाओं के तहत 88,133 दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। महाराष्ट्र सहित राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख) जी हाँ, सर, सरकार एनडीएफडीसी के कामकाज की नियमित रूप से समीक्षा करती है। एनडीएफडीसी के निदेशक मंडल सीपीएसयू के कामकाज की समीक्षा करते हैं। समय-समय पर तृतीय पक्ष मूल्यांकन भी किया जाता है। समीक्षाओं के आधार पर निम्नलिखित पहल/संशोधन किए गए हैं;

(i) निगम का नाम राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी) कर दिया गया है।

(ii) अक्टूबर, 2023 से, बिना किसी चूक के ऋण का समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को ब्याज दर में 1% की छूट दी गई है।

(iii) ऋण सीमा को रु. 25.0 लाख से बढ़ाकर रु. 50.00 लाख किया गया है।

(iv) शिक्षा ऋण पर ब्याज दर 9% प्रतिवर्ष से घटाकर 4% वार्षिक कर दी गई है।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक बैंकों को दिव्यांगजनों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, 12 राज्यों में 17 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

*****

अनुलग्नक-I

(लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या **311** के भाग (क) के उत्तर में **17.12.2024** को उत्तर के लिए संदर्भित अनुलग्नक)

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनडीएफडीसी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए गए दिव्यांगजनों की राज्य-वार संख्या

	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	कुल दिव्यांगजन
1.	अरुणाचल प्रदेश	3
2.	आंध्र प्रदेश	11,603
3.	असम	38
4.	बिहार	5
5.	चंडीगढ़	68
6.	छत्तीसगढ़	120
7.	दिल्ली	233
8.	गुजरात	881
9.	हरियाणा	4,457
10.	हिमाचल प्रदेश	2,400
11.	जम्मू और कश्मीर	3,298
12.	झारखंड	263
13.	कर्नाटक	8
14.	केरल	9,815
15.	लक्ष्यद्वीप	63
16.	मध्य प्रदेश	151
17.	**महाराष्ट्र**	**570**
18.	मेघालय	150
19.	मिजोरम	67
20.	नागालैंड	2
21.	उड़ीसा	5
22.	पंजाब	580
23.	राजस्थान	5,223
24.	सिक्किम	221
25.	तमिलनाडु	35,003
26.	तेलंगाना	6,972
27.	त्रिपुरा	141
28.	उत्तर प्रदेश	5,744
29.	उत्तराखंड	45
30.	पश्चिम बंगाल	4
	कुल	**88,133**

****